

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, बुधवार, जून 6, 2018/ज्येष्ठ 16, 1940 सं. 379] No. 379]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 6, 2018/JYAISTHA 16, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2018

सा.का.नि. 527(अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं0 सा.का.नि. 196(अ), तारीख 28 फरवरी, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थी, तीस दिन की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे:

और, उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को 28 फरवरी, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारूप नियमों पर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है ;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थातु :--

3179-GI/2018 (1)

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (नौवां संशोधन) नियम, 2018 है।
 - (2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 115 के उपनियम (2) के खंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
 - "(iii)(क) उपर्युक्त खंड (i) या खंड (ii) के अनुसार, परीक्षण के दौरान प्राप्त उत्सर्जन परिणाम, समय-समय पर यथा संशोधित दस्तावेज संख्या एमओआरटीएच/सीएमवीआर/टीएपी-115/116 में अधिकथित, यथास्थिति, मोटर यान के केंद्रीय रजिस्टर या मोटर यान के राज्य रजिस्टर पर ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से इलैक्टानिक रूप से अपलोड किए जाएंगे।
 - (ख) उपखंड (क) के अधीन उत्सर्जन परिणाम डाटा को जोड़ने के कार्यान्वयन की अनुसूची निम्न सारणी के अनुसार होगी :--

सारणी			
क्रम सं0	राज्य की सूची	कार्यान्वयन की तारीख	
(1)	(2)	(3)	
1.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र	1 जून, 2018	
2.	हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश	1 अक्तूबर, 2018	
3.	क्रम सं0 (1) और (2) में वर्णित के सिवाए सभी राज्य	1 अप्रैल, 2019 ।"।	

[फा.सं. आरटी-11021/47/2014-एमवीएल] अभय दामले, सयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं0 सा.का.िन. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं0 सा.का.िन. 518(अ), तारीख 1 जून, 2018 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2018

G.S.R. 527(E).—Whereas the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of Section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 196 (E), dated the 28th February, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i), inviting

objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to public;

Whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 28th February, 2018;

And whereas, the objections and suggestions received form the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:—

- 1. Short title and commencement:- (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (Ninth Amendment) Rules, 2018.
 - (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 115, in sub rule (2), after clause (ii),the following shall be inserted, namely:-
 - "(iii) (a) The emission results obtained during testing as per clause (i) or clause (ii) above, shall be electronically uploaded through online process to the State Register of Motor Vehicles or the Central Register of Motor Vehicles, as the case may be, as laid down in Document No. MoRTH/CMVR/TAP-115/116 as amended from time to time.
 - (b) The schedule of the implementation of up linking of the emission results data under sub-clause (a) shall be as per the following table, namely;-

TABLE		
Sl. No.	List of States	Date of Implementation
(1)	(2)	(3)
1.	National Capital Territory of Delhi	1 st June, 2018
2.	Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh	1 st October, 2018
3.	All other states except thosementioned in	1 st April, 2019.".
	sl.no.(1) and (2)	

[F. No. RT-11021/47/2014-MVL]
ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 518(E), dated the 1st June, 2018.